न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO), मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 05/22(प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2022/25

अनवान्

1. श्री भेरूसिंह पिता प्रतापसिंह राजपूत निवासी बामणियाखेत डबोक तहसील मावली।

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री प्रतापसिंह पिता मोतीसिंह राजपूत निवासी बामणिया खेत डबोक तहसील मावली।
2. श्री धर्मसिंह पिता प्रतापसिंह राजपूत निवासी बामणिया खेत डबोक तहसील मावली।
3. श्री देवेन्द्रसिंह पिता प्रतापसिंह राजपूत निवासी बामणिया खेत डबोक तहसील मावली।
4. श्री हिम्मतसिंह पिता प्रतापसिंह राजपूत निवासी बामणिया खेत डबोक तहसील मावली।
5. निकिता कुंवर पुत्री प्रतापसिंह राजपूत निवासी बामणिया खेत डबोक तहसील मावली।
6. नितांकुंवर पुत्री प्रतापसिंह राजपूत निवासी बामणिया खेत डबोक तहसील मावली।
7. श्रीमती केसरकुंवर पुत्री प्रतापसिंह पत्नी रामसिंह राजपूत निवासी भुणावता तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।
8. श्रीमती पुष्पाकुंवर पुत्री प्रतापसिंह पत्नी नारायणसिंह राजपूत निवासी चंगेरा जिला नीमच (मध्यप्रदेश)
9. उप पंजीयक अधिकारी मावली, तहसील मावली।
10. पटवारी, पटवार हल्का डबोक, तहसील मावली।
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, तहसील मावली।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री कल्याणसिंह चुण्डावत,अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री मदनलाल नागदा, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 24.03.2026

1. प्रार्थीं ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा डबोक पटवार हल्का डबोक तहसील मावली की आराजी नम्बर 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1714, 1715,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:59:46 IST
Reason: SelfAttested

1716 किता 10 कुल रकबा 1.5460 हेक्टेयर भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 के नाम पर 1/2 हिस्सेनुसार संयुक्त रूप से राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं।

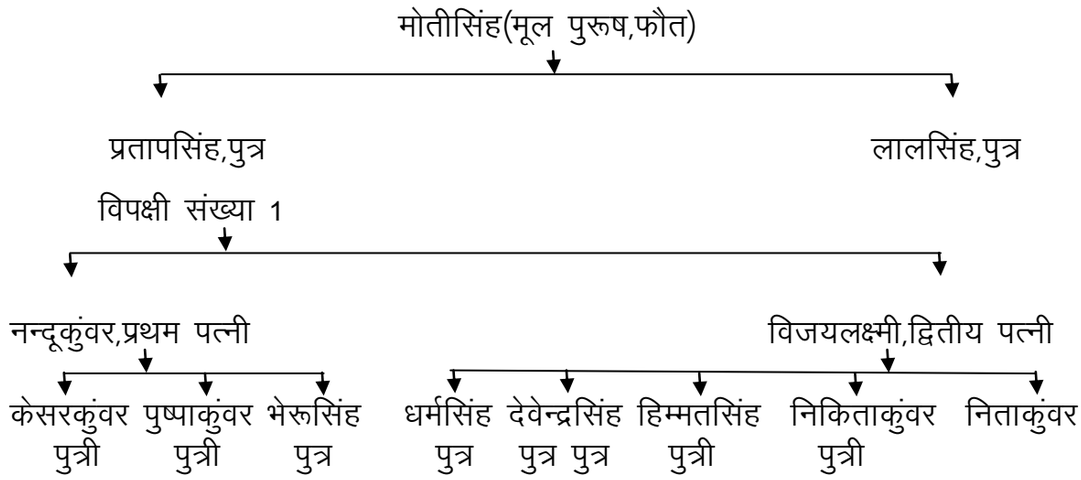

2. यह कि मुझ प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 से 8 का सजरा खानदान निम्न प्रकार है :–

उक्त सजरे अनुसार हमारे मूल पुरूष मोतीसिंह जी थे जिनके दो पुत्र प्रतापसिंह एवं लालसिंह हुए। प्रतापसिंह (विपक्षी संख्या 1) के प्रथम पत्नी के वारिस पुत्र भेरूसिंह एवं पुत्रीयां केसरकुंवर, पुष्पाकुंवर (विपक्षी संख्या 7, 8), द्वितीय पत्नी के वारिस पुत्र धर्मसिंह, देवेन्द्रसिंह, हिम्मतसिंह, पुत्रीया निकिता कुंवर, निता कुंवर है जो सभी जीवित होकर इस प्रार्थना पत्र में पक्षकार हैं।

3. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात पूर्व में हमारे मौरूस मोतीसिंह जी के नाम दर्ज थी तथा मोतीसिंह जी का निधन होने के बाद विरासत से उनके पुत्र विपक्षी संख्या 1 प्रतापसिंह एवं लालसिंह के नाम पर अंकित हुई हैं अर्थात् विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि मुझ प्रार्थी की पैतृक सम्पति है जिसमें मुझ प्रार्थी को जन्म से हक अधिकार प्राप्त हो चुके है और इन भूमियों में अपने पिता विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में अपने हिस्से की भूमि पर मैं प्रार्थी अपने परिवारजन सहित काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहा हूं। उक्त वर्णित कृषि भूमि में विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज पैतृक कृषि भूमि पर मुझ प्रार्थी का अपने हक हिस्सेनुसार कब्जा चला आ रहा है तथा मैं प्रार्थी अपने हिस्सा भूमि पर काबिज हो उपयोग उपभोग करता आ रहा हूं जिसमें अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक व अधिकार नहीं हैं लेकिन वर्तमान में उक्त पैतृक कृषि भूमि मुझ प्रार्थी के पिता विपक्षी संख्या 1 के नाम पर दर्ज है तथा विपक्षी संख्या 1 पूर्ण रूप से विपक्षी संख्या 2 से 6 के वश में है जिस वजह से विपक्षी संख्या 2 से 6 विपक्षी संख्या 1 के नाम अंकित कुलिया भूमि को विपक्षी संख्या 1 के मार्फत खुर्द बुर्द कराकर मुझ प्रार्थी को मेरी पैतृक सम्पति से वंचित करने पर आमादा है और विपक्षी संख्या 1 भी विपक्षी संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:59:46 IST
Reason: SelfAttested

2 से 6 के बहकावें व सिखावें में आकर अपने नाम अंकित कुलिया पैतृक कृषि भूमि को खुर्द बुर्द कर मुझ प्रार्थी को मेरी पैतृक सम्पति से वंचित करने पर उतारू हो रहे है और विपक्षी संख्या 1 से 6 आपस में मिलकर मुझ प्रार्थी को मेरे हिस्से कब्जे की पैतृक भूमि से वंचित कर जोर जबरदस्ती बेदखल करने की ऐलानिया धमकीयां दे रहे हैं जबकि विपक्षी संख्या 1 को अपने नाम दर्ज सम्पूर्ण पैतृक हिस्सा भूमि को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित करने का कोई हक व अधिकार नहीं है और न ही विपक्षी संख्या 1, 2 को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार हैं। इसलिए मैं प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित पैतृक कृषि भूमि में अपने पिता विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में अपने नाम 1/9 हिस्सा भूमि खातेदारी हक की घोषित करा राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने का अधिकारी हूं। इसलिए माननीय न्यायालय आपमें वाद पत्र प्रस्तुत कर दिया हैं।

4. यह कि मुझ प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है क्योंकि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि में विपक्षी संख्या 1 के नाम अंकित कृषि भूमि हमारी पैतृक कृषि भूमि है जिसमें मुझ प्रार्थी को जन्म से ही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् अधिकार प्राप्त हो गये है तथा मैं प्रार्थी अपने हक हिस्सेनुसार भूमि पर काबिज हो उपयोग उपभोग करता आ रहा हूं किन्तु जमीन वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 के नाम पर रेकार्ड में दर्ज है तथा विपक्षी संख्या 2 से 6 (जो दूसरी पत्नी की संताने है) ने विपक्षी संख्या 1 को अपने वश में कर रखा है और विपक्षी संख्या 1 से इस जमीन को हस्तान्तरित करा खुर्द बुर्द करने के भरसक प्रयास कर रहे है और विपक्षी संख्या 1 भी इनका पूर्ण सहयोग कर रहा है और मुझ प्रार्थी को मेरे जायज हक व अधिकारों से वंचित करने एवं मेरे हिस्से कब्जे की भूमि से मुझे बेदखल करने पर आमादा है और विपक्षी संख्या 1 ने दिनांक 18.01.2022 को विपक्षी संख्या 2 से 6 के सिखावें व बहकावें में आकर धमकी दी कि मैं इस जमीन को बेच रहा हूं, तुम अपना कब्जा हटा लेना वरना खरीददार लाठी के बल पर जोर जबरदस्ती से तुम्हे बेदखल कर देंगे। इसलिए मैं प्रार्थी विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हूं कि विपक्षी संख्या 1 से 6 मुझ प्रार्थी को मेरे हिस्से भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, मुझ प्रार्थी के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, विपक्षी संख्या 1 अपने नाम अंकित भूमि को अन्य को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने किसी नौकर चाकर एजेन्ट के मार्फत ही करावें, मौके व रेकार्ड की यथावत् स्थिति बनाये रखें तथा विपक्षी संख्या 9 से 11 भी रेकार्ड की यथावत् स्थिति बनाये रखे, उक्त भूमि से संबंधित किसी प्रकार के दस्तावेज का पंजीयन नहीं करें। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षीगण को कोई क्षति या नुकसान होता नहीं है बल्कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:59:46 IST
Reason: SelfAttested

नहीं होने से मुझ प्रार्थी को भारी क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपयों पैसों में किया जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी मुझ प्रार्थी के पक्ष में है।

5. यह कि मुझ प्रार्थी को विपक्षीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 18.01.2022 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षी संख्या 1 ने विपक्षी संख्या 2 से 6 की बहकावट व सिखावट में आकर उक्त पैतृक भूमि हस्तान्तरित कर खुर्द बुर्द करने व मुझ प्रार्थी को मेरी पैतृक भूमि से जबरन बेदखल करने की धमकी दी, तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं। अन्त में निवेदन किया कि मुझ प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में विपक्षी संख्या 1 अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि में प्रार्थी को उसके हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, प्रार्थी को बेदखल नहीं करें, कब्जा नहीं करें, विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि को विपक्षी संख्या 2 से 6 विपक्षी संख्या 1 को बहकावें में लेकर रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करावें, विपक्षी संख्या 1 अपने नाम दर्ज भूमि को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं करे, प्रार्थी के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से ही करावें, राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथावत् स्थिति बनाये रखें। विपक्षी संख्या 1 उक्त भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन कराने हेतु प्रस्तुत करे तो ताफैसला मूल वाद विपक्षी संख्या 9 पंजीयन नहीं करें व विपक्षी संख्या 10, 11 ताफैसला मूल वाद राजस्व रिकार्ड की यथावत् स्थिति बनायें रखें।
6. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 2 से 8 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जा चुके हैं। विपक्षी संख्या 1 को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर बन्द किया जा चुका हैं।
7. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गईं। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 द्वारा अपनी बहस में वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी का कोई हक हिस्सा निहित नहीं होना बताकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।
8. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है जो इस प्रकार है:—

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:59:46 IST
Reason: SelfAttested

1. ***प्रथम दृष्टया मामला–*** प्रकरण के अवलोकन से प्रार्थी द्वारा बताये गये सजरे अनुसार मूल पुरूष मोतीसिंह जी थे जिनके पुत्र प्रतापसिंह व लालसिंह हुए। प्रतापसिंह की दो पत्नी नन्दुकुंवर व विजयलक्ष्मी होना बताया। प्रार्थी भेरूलाल, नन्दुकुंवर का पुत्र हैं। मौजा डबोक पटवार हल्का डबोक की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2032–35 का अवलोकन करने से प्रथम दृष्टया जाहिर होता है कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में प्रार्थी के दादा मोतीसिंह पिता मानसिंह राजपूत के नाम दर्ज थी जो विरासत के आधार पर प्रार्थी के पिता प्रतापसिंह के नाम दर्ज होना प्रतीत होता हैं।

   इस सम्बन्ध में न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज नकल जमाबन्दी के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के मौरूस के नाम दर्ज चली आ रही हैं। प्रार्थी द्वारा अपने पिता के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में से अपने हिस्से की घोषणा चाही गई हैं। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर प्रथम दृष्टया वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की मौरूसी होना प्रतीत होती हैं। वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम भूमि दर्ज होने से यदि विपक्षी संख्या 1 अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि का विक्रय, हस्तान्तरण कर देता है तो ऐसे में प्रार्थी को अपनी मौरूसी भूमि में अपने हक अधिकारों से वंचित होना पड़ सकता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की पैतृक सम्पति में घोषणा का वाद होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

2. ***सुविधा का संतुलन–*** प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 व अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। विपक्षी संख्या 1, प्रार्थी के पिता हैं। प्रार्थी द्वारा पैतृक सम्पति में हिस्से की घोषणा चाही गई है। प्रार्थी द्वारा पैतृक भूमि में अपने हिस्से की घोषणा चाहने से यदि विपक्षी संख्या 1 को पाबंद नहीं किया जाता है एवं विपक्षी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि को अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरित, विक्रय या खुर्द बुर्द कर देता है तो इससे प्रार्थी को काफी असुविधा का सामना करना पडेगा व प्रार्थी के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। अतः सुविधा संतुलन का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार सुविधा संतुलन का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।

3. ***अपूरणीय क्षति का बिन्दू–*** प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 व अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। विपक्षी संख्या 1, प्रार्थी के पिता हैं। प्रार्थी द्वारा पैतृक भूमि में हिस्से की घोषणा चाही गई है इसलिए यदि विपक्षी संख्या 1 को रोका नहीं जाता है एवं विपक्षी संख्या 1 अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि को रहन, बैह, बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित कर देता है तो इससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी तथा प्रकरण में अनावश्यक पैचिदगीया उत्पन्न होगी। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन का बिन्दु

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:59:46 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किये जाने से उक्त बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।

हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि मौजा डबोक पटवार हल्का डबोक तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 की खाता संख्या 587 पर दर्ज आराजी नम्बर 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1714, 1715, 1716 किता 10 कुल रकबा 1.5460 हेक्टेयर भूमि विपक्षी संख्या 1 व अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं।

प्रकरण में मूल बिन्दू प्रार्थी के पैतृक भूमि में हिस्से की घोषणा सम्बन्धी हैं। यदि पैतृक भूमि होने का तथ्य साबित होता है तो प्रार्थी वादग्रस्त भूमि को अपने नाम दर्ज कराने का अधिकारी है इसलिए यदि विपक्षी संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जाता है एवं विपक्षी संख्या 1 अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि को खुर्द बुर्द, रहन, बैह, बक्षीस, विक्रय आदि द्वारा हस्तान्तरित कर देते है तो इससे प्रार्थी के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा तथा प्रार्थी को अपने हिस्से से वंचित होना पडेगा परन्तु पैतृक भूमि के तथ्य को इस प्रार्थना पत्र में तय नहीं किया जा सकता हैं। ऐसी स्थिति में विपक्षी संख्या 1 को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता हैं।

इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय की नजीर **RLW 2005(2) page 219,**में **''राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 – अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान करना– अपने पिता के जीवन काल में पिता की पैतृक सम्पति में हिन्दू पुत्र का अधिकार– पुत्र ने घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद दायर किया – भूमि हस्तान्तरण की आशंका – अस्थाई निषेधाज्ञा चाही– अभिनिर्धारित – अपने पिता की पैतृक सम्पति में एक हिन्दू पुत्र का अधिकार होता है और वह उसका विभाजन करा सकता है– अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रयोजन विवाद की विषय वस्तु को अधिकारों के संबंध में निर्णय होने तक वर्तमान स्थिति में बनाये रखना है और आगे किसी संभावित क्षति से सुरक्षा करना है।''** माननीय न्यायालय की उक्त नजीर इस प्रकरण पर हूबहू चस्पा होती है। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि के आधार पर तय किये जायेगे। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन का बिन्दु व अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किये गये हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:59:46 IST
Reason: SelfAttested

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है कि मौजा डबोक पटवार हल्का डबोक तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 की खाता संख्या 587 पर दर्ज आराजी नम्बर 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1714, 1715, 1716 किता 10 कुल रकबा 1.5460 हेक्टेयर भूमि में मूल वाद के निस्तारण तक विपक्षी संख्या 1 प्रतापसिंह पिता मोतीसिंह राजपूत के नाम दर्ज हिस्सा भूमि के राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें, साथ ही विपक्षी संख्या 2 प्रतापसिंह को पाबंद किया जाता है कि उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी भेरूसिंह को नोशनल शेयर अनुसार खेती करने से नहीं रोके। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। उक्त स्थगन आदेश अन्य सहखातेदार पर प्रभावी नहीं होगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय सरे ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:59:46 IST
Reason: SelfAttested